

दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रथम अपीलिय अधिकारी (RTI) निदेशक (सतर्कता)
कमरा नं० 401 वरुणालय खण्ड द्वितीय, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

सं० दि०ज०ब००एफ ए ए आर टी आई/५९८ /अपील/6017

दिनांक ०४-०६-१४

श्री मोनू ————— अपीलकर्ता
बनाम
जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) ————— प्रतिवादी
आदेश

श्री मोनु ने श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) के पत्र संख्या दि०ज०ब००/सतर्कता/६९६१/४७१३ दिनांक १-५-२०१४ द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत दी गई सूचना के विरुद्ध अपील दायर की थी ।

श्री मोनु, अपीलकर्ता की ओर से श्री संजीव कुमार उपस्थित हुए एवं श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे ।

अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह कहा है कि वह जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है । जन सूचना अधिकारी ने कहा कि प्रश्न संख्या ०२ में अपीलकर्ता को आठ रूपये फोटो कापी के जमा कराने हेतु कहा गया था जो उसने जमा करा दिये और उसको कुल चार पृष्ठ जानकारी हेतु भेज दिये गये हैं ।

मैंने जनसूचना अधिकारी को सुना एवं अपीलकर्ता को सुना व इसके बाद पाया कि अपीलकर्ता जन सूचना अधिकारी के जवाब से अब संतुष्ट है । अतः आई डी संख्या सतर्कता/५९८ की अपील को निरस्त किया जाता है ।

०५/६/१४
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- १ श्री मोनु, ए-८३८ गल्ली नं० ११ मीत नगर, दिल्ली
- २ श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता)
- ✓ ३ अधिशासी अभियन्ता (₹० डी० पी०) आदेश को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करें ।

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)
DATE No. १९०२
DATE ०५/६/१४

१८ संजय मंजूर २०१४

१८ संजय मंजूर २०१४
६/६/१५

१८ संजय मंजूर २०१४
प्रथम अपीलीय अधिकारी